एपीडा
APEDA

एपीडा वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

विषय सूची

1.	**एपीडा की स्थापना**	**1**
1.1.	निर्दिष्ट कार्य	1
1.2.	उत्पादों का मॉनीटर करना	3
1.3.	एपीडा प्राधिकरण का गठन	4
1.4.	प्रशासनिक ढ़ांचा	5
1.5.	एपीडा के आभासी कार्यालय	6
1.6	एपीडा के विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	6
2.	**प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य**	**7**
2.1	निर्यातकों का पंजीकरण	7
2.2	व्यापार सूचनाओं तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्रों को जारी करना	7
2.3	चीनी (शर्करा) का आयात – संविदाओं का पंजीकरण	7
2.4	राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन	8
2.5	वित्तीय सहायता योजनाएं	9
3.	**निर्यात कार्य–निष्पादन**	**10**
4.	**महत्वपूर्ण उपलब्धियां**	**11**
5.	**अवसंरचना का विकास**	**16**
6.	**गुणवत्ता विकास**	**20**
7.	**उत्पाद क्षेत्रों की विकासपूर्ण गतिविधियां**	**23**
8.	**अन्तरर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता**	**33**
9.	**जैविक उत्पाद हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम**	**43**
10.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के गतिविधियों सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रियाकलाप**	**47**

1. एपीडा की स्थापना

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा दिसम्बर, 1985 में पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह अधिनियम (1986 का दूसरा) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II (खंड 3 (ii): 13.2.1986 में प्रकाशित 13 फरवरी 1986 की अधिसूचना द्वारा प्रभावी हुआ था। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्द्धन परिषद (पीएफआईपीसी) को प्रतिस्थापित किया।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V खंड 21(2) के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रिया कलापों नीति और कार्यक्रमों का एक वास्तविक और पूरा लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाली वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है ताकि उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सके।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्रधिकरण एपीडा की यह 26वीं वार्षिक रिपोर्ट है इसमें वित्तीय वर्ष 2011–12 का विवरण है।

1.1 निर्दिष्ट कार्य

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (1986 का दूसरा) के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गए हैं:

(क) सर्वेक्षण और व्यवहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूँजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बधित उद्योगों का विकास;

(ख) निधारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना;

(ग) निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना;

(घ) बुचड़खानों, प्रसंस्कारण संयंत्रों, भंडारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते में मांस एवं मांस उत्पादों का निरीक्षण करना जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके;

(ङ) अनुसूचित उत्पादों के पैकिंग में सुधार करना;

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार;

(छ) निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना;

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण पैकिंग विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निधारित किए गए आंकड़ों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकड़ों अथवा उनके किन्हीं अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना;

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ञ) निर्धारित किए गए ऐसे अन्य मामले।

1.2 उत्पादों को मॉनीटर करना

एपीडा को निम्न अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन और विकास की जिम्मेदारी सौपी गई है:

1.	फल, सब्जियां और उनके उत्पाद
2.	मांस और मांस उत्पाद
3.	कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
4.	डेयरी उत्पाद
5.	मिठाई, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
6.	शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
7.	कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8.	मादक और गैर मादक पेय पदार्थ
9.	अनाज और अनाज उत्पाद
10.	मूंगफली, बादाम तथा अखरोट
11.	अचार, पापड़ और चटनी
12.	ग्वार गम
13.	पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद
14.	जड़ी–बूटी तथा औषधीय पौधे

इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात का मॉनीटरी करने की जिम्मेदारी सौपी गई है।

1.3 एपीडा प्राधिकरण का गठन

संविधि द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल है यथाः

- **केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;**
- **भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन;**
- **योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है;**
- **संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा एवं एक राज्यसभा से चुना जाता है;**
- **केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगेः**
  - कृषि और ग्रामीण विकास
  - वाणिज्य
  - वित्त
  - उद्योग
  - खाद्य
  - नागरिक आपूर्ति
  - नागर विमानन
  - जहाजरानी और परिवहन
- **केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है।**
- **केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे**
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
  - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
  - राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ
  - केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
  - भारतीय पैकेजिंग संस्थान
  - मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा
  - काजू निर्यात संवर्धन परिषद
- **केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बारह सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगेः**
  - फल और सब्जी उत्पाद उद्योग;
  - मांस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग;
  - अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग;
  - पैकेजिंग उद्योग;

केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अनुसूचित उत्पादों को विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

1.4 प्रशासनिक ढांचा

प्राधिकरण के अध्यक्ष

सम्पूर्ण वित्त वर्ष के दौरान श्री असित कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष बने रहे।

निदेशक

श्री एस दवे इस वित्त वर्ष की पूरी अवधि के दौरान निदेशक के पद पर बने रहे।

सचिव

श्री सुनील कुमार इस वित्त वर्ष के दौरान सचिव बने रहे।

प्राधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी।

एपीडा अधिकारी के खंड 7(3) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

समीक्षा वर्ष के दौरान संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या 84 थी जबकि स्वीकृत स्टाफ की संख्या 124 है। एपीडा प्राधिकरण में कर्मचारियों को श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नानुसार था:

(क) सरकार में श्रेणी 'क' के पदों समकक्ष पद (अध्यक्ष, निदेशक और सचिव सहित)	21
(ख) सरकार में श्रेणी 'ख' पदों के समकक्ष पद	29
(ग) सरकार में श्रेणी 'ग' पदों के समकक्ष पद	26
(घ) सरकार में श्रेणी 'घ' पदों के समकक्ष पद	08

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण और उन्नति के मामलों की प्राधिकरण द्वारा भलीभांति देखभल की जाती है। एपीडा में किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को कोई भी शिकायत बकाया नहीं हैं।

सरकार के मानदंडों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी ग्रेडों में कुल संख्या के 3 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। एपीडा की कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 124 है जिनमें से शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 2 है। 3 प्रतिशत की अपेक्षा को आगे वाली भर्तियों में कर लिया जाएगा।

1.5 एपीडा में आभासी कार्यालय

एपीडा 26 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। देश के विभिन्न भागों में मौजूदा निर्यातकों तक पहुँचने के लिए एपीडा ने अपने पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार/एजेंसियों के सहयोग से 13 आभासी कार्यालय खोले हैं जो इस प्रकार हैं:– तिरुवंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर), चंडीगढ़, इम्फाल (मणिपुर), अगरतल्ला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा पणजी (गोवा)।

एपीडा की सामान्य जानकारियां, पंजीकरण तथा वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी इन आभासी कार्यालयों द्वारा उद्यमियों/भावी निर्यातकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

1.6 एपीडा में विभिन्न कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण

- वर्ष 2011–12 में नवीनतम अधिसूचनाओं/व्यापारिक नोटिसों/सरकारी आदेशों/गुणवत्ता मामलों तथा अन्य उपयागी विवरणों से एपीडा की वेबसाइट को निरंतर अद्यतन बनाया गया।
- कृषि विनिमय पोर्टल को नवीनतम कृषि निर्यात आंकड़ों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ों पर आधारित प्रयोक्ता अनुकूलन रिपोर्ट, विकास विशेषताओं को उन्नतिशील बनाया गया। वर्ष के दौरान इस पोर्टल पर लगभग 1800 बेचने और खरीदने के पूछताछ प्राप्त किए गए।
- नई औनलाइन peanut.net ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को मूंगफली अथवा बादाम उत्पाद को ई यू देशों को प्रेषित मानक का पता लगाने के लिए कार्यान्वित किया गया।
- पणधारियों (स्टॉक होल्डरों) को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई प्रयोक्ता अनुकूल विशेषताओं तथा सुविधाओं सहित विद्यमान आनलाइन सॉफ्टवेयर प्रयोगों को उन्नतिशील बनाया गया।
- डीजीएफटी सेवाओं में विकसित तंत्र के अनुसार एपीडा आरसीएमसी डाटाबेस को अपलोडिट कर आधुनिकतम बनाया गया।

- मूंगफली "peanut.net" ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पता लगाने के तंत्र को पदाधिकारियों के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित तथा कार्यान्वित किया गया।
- कुछ बागवती उत्पादों के लिए होर्टीनेट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया।
- यूएनईएससीएपी, एडीबी, एपीओ तथा एफएओ ने एपीडा को कोरिया, कम्बोडिया और रोम ने विभिन्न मंचों पर अनुमार्गणीयता प्रदर्शन के संबंध में पहल शक्ति को दशाने के लिए एपीडा को आमंत्रित किया गया।
- ट्रेसनेट परियोजना (जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम) ने ताइवान में एशिया पुरस्कार 2011 तथा नई दिल्ली में भारतीय कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया गया।

2. प्राधिकारण की बैठकें तथा सांविधिक कार्य

वर्ष 2011–12 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की 24 जून 2011, दिसम्बर 2011, 3 फरवरी 2012 तथा 12 मार्च 2012 को चार बैठकें आयोजित की गईं।

2.1 निर्यातकों का पंजीकरण

वर्ष 2011–12 के दौरान एपीडा में कुल मिलाकर 2092 निर्माताओं/व्यापर निर्यातकों का पंजीकरण किया गया।

2.2 व्यापार नोटिसों तथा पंजीकरण एवं आबंटन प्रमाण–पत्रों को जारी करना

बासमती चावल

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए आरसीएसी (बासमती चावल) के ब्यौरेः–

2011–12		
कुल आरसीएसी	**मात्रा मीट्रिक टनों में**	**एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)**
14962	3226934	3302.4

2.3 चीनी (शर्करा) का आयात संविदाओं का पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए आरसीएसी (चीनी) के ब्यौरेः

2011–12 (कच्ची चीनी)			2011–12 सफेद/परिष्कृत चीनी		
कुल आरसीएसी	मात्रा मीट्रिक टनों में	एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)	कुल आरसीएसी	मात्रा मीट्रिक टनों में	एफओबी मूल्य यूएसडी (मिलियंस में)
8	79701	59.7	55	1004	13.97

2.4 राजभाषा अधिनियन का कार्यान्वयन

प्राधिकरण ने वर्ष 2011–12 के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा सरकार के राजभाषा नियमावली के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया। प्राधिकरण द्वारा किए गए कुछेक कार्यकलापों में निम्न शामिल है:

1. एपीडा ने पंजीकरण सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएसी) तथा पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए।
2. वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आायोजित की गई।
3. वर्ष के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का यथा निर्धारित रूप में कार्यान्वयन किया गया।
5. एपीडा में हिन्दी में कार्य करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
6. वर्ष 2011–12 के दौरान 14 से 28 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिन्दी को संप्रेषण की आमभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किए गए।
7. एपीडा द्वारा 'एपेक्स अपडेट' नाम से चार त्रैमासिक पत्रिका हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में प्रकाशित किए गए तथा विभिन्न विभागों निर्यातकों, भारत के विदेशी दूतावासों तथा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को भेजे गए।
8. अन्य शिखर बैठकों के अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परिचालित किए गए।

9. प्रशासन के सभी मांग पत्र, बजट तथा वित्त प्रारूपों जैसे अवकाश तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अग्रिम आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी), वाहन अनुरोध, परिवहन प्रतिपूर्ति, सम्मेलन कक्ष बुकिंग का भौतिक निरीक्षण तथा मानक पत्राचार/एपेक्स आदि के द्विभाषी प्रारूप बनाए गए।

10. हिन्दी में नियमित नोटिंग करने के लिए कर्मचारियों की सहायता के लिए सभी फाइल आवरणों को सामान्य प्रयुक्त वाक्यांशों के साथ द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया।

11. एपीडा के सात प्रभागों को हिन्दी में शतप्रतिशत काम करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

12. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, एचएसीपी मान्यता प्राप्त योजनाएं, प्रयोगशाला मान्यता योजना, वित्तीय सहायता योजनाएं द्विभाषी में उपलब्ध हैं।

13. प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय सहायिका दिया गया तथा प्रत्येक अनुभाग को राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु अंग्रेजी–हिन्दी शब्द कोश दिया गया।

14. एपीडा के आशुलिपिकों तथा टंककों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया।

15. हिन्दी में उपलब्ध एपीडा वेबसाइट को समय–समय पर संशोधन/नए विवरणों के साथ अद्यतन किया गया।

16. हिन्दी में कार्य करने तथा हिन्दी साफ्टवेयर में प्रशिक्षण देने हेतु सभी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु हिन्दी सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया तथा सभी कम्प्यूटरों में अक्षर–XP लगवाया गया।

2.5 वित्तीय सहायता योजनाएं

एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचे तथा गुणवत्ता उन्नयन के अतिरिक्त बाजार में विकास में सक्रिस रूप से नियोजित है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में एपीडा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है:–

3. निर्यात कार्य निष्पादन

अप्रैल–मार्च 2012 की अवधि के लिए एपीडा उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

मूल्य (लाख रुपयों में)

उत्पादन समूह	निर्यात अप्रैल–मार्च 2011	निर्यात अप्रैल मार्च 2012*	प्रतिशत में वृद्धि
पुष्पकृषि तथा बीज	48100.55	65007.01	35.15
फल तथा सब्जियां	472000.74	542103.86	14.85
प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां	267086.75	378104.01	41.57
पशुधन उत्पाद	1009390.86	1510745.69	49.67
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	859340.83	2689899.84	213.02
गैर–बासमती चावल	23128.89	866818.67	3647.77
बासमती चावल	1135476.64	1545044.92	36.07
गेहूं	69.96	102380.32	146241.22
अन्य अनाज	364848.72	547921.00	50.18
कुल	**4179443.94**	**8248025.32**	**97.35**

* स्रोत–प्रमुख उत्पादों पर डीजीसीआईएस अप्रैल–मार्च, 2012 (अंतिम निर्यात डाटा)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान एपीडा उत्पादों के निर्यात में 82480.25 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात के साथ 97.35 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई। किसी भी श्रेणी के उत्पादों में नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई।

4. प्रमुख उपलब्धियां

- श्री एस दवे का कोडेक्स के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन, श्री संजय दवे, निदेशक एपीडा को अध्यक्ष कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) जो खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, के लिए निर्वाचित किया गया है। सीएसी के इतिहास में पहलीबार किसी भारतीय पदाधिकारी को ऐसे उच्च पद के लिए निर्वाचित किया गया।

- **भारत को आस्ट्रेलिया में आमों के बाजार में प्रवेश प्राप्त हुआः** एपीडा तथा कृषि मंत्रालय के निरंतर तथा अनवरत प्रयास अंततः रंग लाए क्योंकि भारत को आस्ट्रेलिया में आमों के निर्यात के लिए बाजार में प्रवेश की अनुमति मिल गई। विगत 10 वर्षों से बायोसिक्युरिटी आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत जारी थी परन्तु उत्तर प्रदेश के उत्पादन क्षेत्र का सर्वेक्षण व अंकेक्षण करने तथा इस को जीवनाशी स्वतंत्र क्षेत्र ऑडिट करने के पश्चात आस्ट्रेलिया के पदाधिकारियों द्वारा इस साहसिक कार्य को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कृषि मंत्रालय द्वारा भी उत्तर प्रदेश को जीवनाशीत मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। आस्ट्रेलिया के एक तकनीकी प्रतिनिधि मंडल ने उत्पादन क्षेत्र का दौरा किया तथा सहारनपुर एवं नाशी, नवी मुंबई के आधुनिक (पैक हाऊस) की प्रसंस्करण क्षमता को विश्लेषित किया। उन्होंने लखनऊ तथा साहारनपुर व नाश, नवी मुंबई की वाष्प ऊष्ण उपचार सुविधा (वीएचटी) का भी ऑडिट किया।

उनका दल लखनऊ में एच डब्ल्यू डी टी तथा साहारनपुर में वीएचटी से संतुष्ट था। आमों को आस्ट्रेलिया को निर्यात करने से पहले इन्हें या तो एच डब्ल्यू टी या वी एच टी की शर्त को पूरा करना होगा। पहले आमों के नमूने जून में आस्ट्रेलिया भेज दिए गए जिनकी आयातकों ने बहुत प्रशंसा की।

- **एपीडा ने ट्रेसनेट के लिए कृषि नेतृत्व अवार्ड 2011 प्रदान कियाः** कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2011 का आयोजन ताज पैलेस नई दिल्ली में 14 सितम्बर, 2011 को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व श्रेणी में इस वर्ष का उच्च अवार्ड एपीडा को प्रदान किया गया। श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार समिति ने एपीडा को ट्रेसनेट बुनियादी परियोजना के लिए चुना गया। यह परियोजना ने भारत से निर्यात होने वाले सभी जैविक

उत्पादित उत्पादन के प्रमाणन तथा ट्रैसिबिलिटी के कार्यान्वयन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करता है। ट्रेसनेट के माध्यम से एपीडा ने भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात में आमूल परिवर्तन किया। यह पुरस्कार श्री सलामन खुशीद, केन्द्रीय राज्यमंत्री, खाद्य प्रसंस्कारण, श्री हरीश रावत, केन्द्रीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्कारण तथा श्री बलराम जाखड़, पूर्व केन्द्रीय कृषिमंत्री ने प्रदान किया।

- **एपीओ, जापान तथा एनसीपी, भारत द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भारतीय अनुमार्गणीयता पहलशक्ति को मान्यता प्राप्त हुई है:** 1 अगस्त से 6 अगस्त, 2011 तक इंडिया इंटरनेशनल केन्द्र, नई दिल्ली में बागवानी फसलों के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को एशिया उत्पादकता परिषद (एनपीओ), भारत ने संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का समापन संवादात्मक व्याख्यान से हुआ, जिसमें सामूहिक समुनदेशन तथा प्रयोगों एवं संबंधित सुविधाओं के अनुपालन दोनों के माध्यम से तत्काल प्रशिक्षण प्रदान करना। सत्रों का संचालन चार अंतर्राष्ट्रीय तथा एक भारतीय वक्ता के रूप में श्री सुधांशु, उप महाप्रबंधक, एपीडा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा बागवानी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादों के मॉनीटरिंग तथा ट्रैसिबिलिटी पर आधे दिन का सत्र प्रस्तुत किया। भागीदारों ने बुनियादी ट्रैसिबिलिटी कार्यान्वयन पहलशक्ति को भारत द्वारा प्रारंभ करने की प्रशंसा की।

- **ट्रेसनेट के लिए एपीडा ने इ–एशिया पुरस्कार प्राप्त किया:** जैसे ही एपीडा ने वर्ष 2011 में जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसनेट ट्रेसेबिलिटी परियोजना पर इ–एशिया पुरस्कार जीता एपीडा के लिए गौरवान्वित करने का समय था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में स्थापित व्यापार सरलीकरण तथा इलैक्ट्रोनिकी व्यापार के लिए एशिया पेसिफिक परिषद द्वारा ट्रेसनेट अवार्ड प्रदान किया गया। ताइपाइ, चीन में आयोजित इ–एशिया समारोह 4 नवम्बर को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। एएफएसीटी 2011 के अध्यक्ष डॉ. जाइह–शेंग से एपीडा के उप महाप्रबंधक श्री सुधांशू ने पुरस्कार ग्रहण किया। ऐशियायी देशों से प्रतिनिधि मंडलों तथा सेमीफाइनलिस्ट ने इस समारोह में भाग लिया। ट्रेसनेट एकरूप, अवरोधी, पारदर्शी डाटा प्रबंधन सहित सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन प्रमाणन–व–टेसिबिलिटी सिस्टम है। यह सिस्टम भारत से जैविक उत्पादों के प्रेषित माल की खेत स्तर तक वापसी की ट्रसिबिलिटी स्थापित करने में सहायता करता है। आपूर्ति श्रृंखला में स्टॉकहोल्डर्स को क्षेत्रस्तरीय कार्य प्रदान करने की ओर एक कदम है। इस सिस्टम से 400,000 से अधिक किसानों, 2900 से अधिक फसल उगाने वालों, 1400 से अधिक व्यक्तिगत प्रचालकों तथा 22 प्रमाणन संस्थाएं लाभ प्राप्त करती है।

- **वर्ल्ड (विश्व) 2011 के लिए बासमती अंतर्राष्ट्रीय रसोइया सम्मेलनः** एपीडा ने 22–23 नवम्बर, 2011 को ग्राण्ड होटल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया सम्मेलन आयोजित किया।

12 ख्याति प्राप्त शेफ, 40 प्रतिष्ठित खाद्य पत्रकार/लेखक चिह्नित बाजारों से बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित हुए। सम्मेलन के दौरान भारतीय तथा विदेशी बासमती चावलों के नुस्खे

संग्रहित संपादित कोफी टेबलबुक का डॉ. राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव द्वारा लोकार्पण किया गया। वाणिज्य सचिव ने सत्र के दौरान हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिया।

दो दिन के इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण खुली रसोई जहाँ रसोइयों ने चावल को पकाकर बासमती की डिसिज बनाई। प्रथम दिन रसोई अंतर्राष्ट्रीय रसोइयों के पास थी।

- **बायोफैक 2012 में इस सत्र का देश भारतः** बायोफैक जर्मनी वर्ष का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जैविक व्यापार मेला है। भागीदार जैविक स्टॉहोल्डरों के लिए यह एक अवसर था तथा विश्व भर से आए व्यापार मेला देखने वालों के लिए अपने नवीनतम जैविक उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शकों का एक अच्छा मंच था।

एपीडा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एफओएफपीआई) के साथ–साथ चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड तथा मसाला बोर्ड एवं 20–25 निर्यातकों के साथ संयुक्त रूप से निरंतर भागीदारी करता है जिसमें वे एक सामान्य मंच पर अपने जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करते है। बायोफैक जर्मनी, न्यूनवर्ग मेस्से, के आयोजकों ने श्री आनन्द शर्मा माननीय वाणिज्य, उद्योग तथा वस्त्र मंत्री को ''इस सत्र का देश'' भारत को नामित के लिए एक प्रस्ताव भेजकर आमंत्रित किया। भारतीय दल के लिए भागीदारी बहुत सफल रही। परन्तु इस वर्ष 'कंट्री ऑफ द इयर' में प्रतिनिधित्व करने वाला भारत ऐशियाइ राष्ट्रों का पहला देश रहा। भारतीय जैविक सूती पोशाक, जैविक शराब तथा प्राकृतिक उत्पाद बायोफैक 2012 में आकर्षण का केन्द्र रहे।

5. अवसंरचना विकास

1. हिमाचल प्रदेश

(क) परवानू, सोलन में टेट्रापैक मशीन की स्थापना (TBA-19):

फलों का रस/पेय पदार्थ 200 एम एल के छोटे टेट्रापैकों में भरने के लिए परवानू, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन में एचपीएमसी TBA-19 टेट्रापैक मशीन तथा TSA30 स्ट्रो एप्लीकेटर के लिए एक प्रस्ताव को प्राधिकरण ने अपनी 24.6.2011 की बैठक में मंजूरी दी और इसके लिए 355.15 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की।

प्रस्तावित TBA-19 मशीन की स्थापना से 200 एमएल के छोटे टेट्रापैक बनाने में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी जो 6000 प्रति घंटे से बढ़कर 7800 प्रतिघंटा हो गया।

एपीडा और एचपीएमसी के मध्य 13.10.2011 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। 40 प्रतिशत की अग्रिम 142.6 लाख रुपए को राशि की प्रथम किस्त 12.10.2011 को एचपीएमसी को जारी की।

(ख) घुमारविन में पाक जड़–बूटी, फूलों तथा सब्जियों के लिए पैक हाऊस की स्थापना:

एपीडा ने पाक जड़ी–बूटी, फूलों तथा सब्जियों के लिए पैक हाऊस की स्थापना का एचपीएमसी के 435.08 लाख की धनराशि के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी। पैक हाऊस में 54 मीट्रिक टन उत्पादों को रखने की क्षमता है। सम्भावना है कि 31.3.2013 तक पैक हाऊस स्थापित हो जाएगा।

2. कर्नाटक

वर्ष 2012 के दौरान एपीडा ने कर्नाटक राज्य में चार पैक हाउस कुडाची (बेलगांव), हवेरी, मैसूर तथा कोलार में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की।

(क) कुडाची (बेलगांव)

फलों तथा सब्जियों के लिए 460 लाख रुपए की कुल लागत के पैक हाऊस की परियोजना को केएपीपीईसी के सहयोग से बनाया जा रहा है जिसमें एपीडा 774 लाख रुपये की सहायता देगा। इस परियोजना के माध्यम से कुछ 5100 मीट्रिक टन क्षमता के लिए शीत भंडारण बनेगा। केपीपीईसी के साथ 22.3.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) हवेरी, मैसूर तथा कोलार

एपीडा ने फलों, सब्जियों के लिए इन तीन पैक हाउसों को बागबानी विभाग, कर्नाटक सरकार को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की है।

स्थान	वित्तीय सहायता	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख
हवेरी	183.55	16.03.2012
कोलार	212.75	16.03.2012
मैसूर	198.75	16.03.2012

3. मध्य प्रदेश

मसाला बोर्ड द्वारा गूना, मध्य प्रदेश में स्पाईसिस पार्क में शीत भंडारण की स्थापना

मसाला बोर्ड द्वारा स्पाईसिस पार्क, गूना, मध्य प्रदेश में शीत भंडारण स्थापित करने के लिए 612 करोड़ की अनुदान राशि की स्वीकृति प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 24.6.2011 की बैठक में दी। परियोजना की कुल लागत 40.25 करोड़ रुपए हैं। जिसमें से एएसआईडीई का योगदान 1900 करोड़ रुपए का है। बाकी धनराशि स्पाईसिस बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। परियोजना वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूरा होने की संभावना है।

दो शीत भंडारण के लिए धनराशि एपीडा द्वारा दी जाएगी। प्रस्तावित शीत भंडारण सुविधा में 500 मीट्रिक टन की क्षमता सहित 6 मॉड्यूल है। जिससे 3000 मीट्रिकटन का योग निकलता है। स्पाइसिसा बोर्ड ने दिनांक 05.01.2011 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. तमिलनाडू

तमलिनाडू पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा फरमाकोविजिलेन्स प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए 550.50 लाख रुपए की अनुदान राशि के परियोजना प्रस्ताव को एपीडा ने स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 3.02.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए गए।

5. मिजोरम

आइजवाल हवाई अड्डे पर चलते–फिरते शीत कक्ष की स्थापना

बागवानी विभाग, मिजोरम सरकार ने मिजोरम लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एमएसएफएसी) के माध्यम से 12 मीट्रिक टन क्षमता के चलते फिरते शीत कक्ष की स्थापना आइजोल हवाई अड्डे पर पर स्थापित करने के लिए प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव को एपीडा स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसकी कुल लागत 2064 लाख रुपए है जिसके लिए धनराशि निम्नलिखित स्रोतों से प्रदान की जाएगी:

एएसआईडीई रूपये 7,60,597/–

एपीडा रूपये 13,03,717/–

6. महाराष्ट्र

फलों सब्जियों तथा फूलों के लिए पैक हाउस की स्थापना

वर्ष 2011–12 के दौरान महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निम्नलिखित विवरणानुसार फलों, सब्जियों तथा फूलों के लिए तीन पैक हाऊस की स्थापना हेतु एपीडा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की:

स्थान	उत्पाद	वित्तीय सहायता	भंडारण क्षमता	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख
चन्दवाड, नासिक	प्याज, अनार तथा अंगूर	547.76	600 मी.टन	05.03.2012
महासवाड सतारा	फूलों तथा सब्जियां	224.23	25 मी.टन	05.03.2012
तालेगांव पूना	फूल	537.00	110 मी.टन	05.03.2012

7. पश्चिम बंगाल

आलू फ्लेक्स के लिए प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना

हुवली, पश्चिमी बंगाल में 1200 किग्रा/घंटा क्षमता का 800.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से आलू फ्लेक्स यूनिट की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल कृषि विपणन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को एपीडा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना की कुल लागत 2574.45 लाख रुपए है तथा बाकी धनराशि लाभभोगी तथा कृषि मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। PBAMC के साथ दिनांक 26.03.2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

8. **गुजरात**

(क) देहगांव, गांधीनगर में आलू फ्लेक्स प्रसंस्करण यूनिट स्थापना के लिए गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा 800.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को एपीडा ने स्वीकृत किया। परियोजना की कुल लागत 1965 लाख रुपये है तथा बाकी राशि RKVY के अंतर्गत आने वाला GAIC द्वारा वहन की जाएगी। इसमें 600 किलोग्राम/घंटे की क्षमता होगी। GAIC के साथ दिनांक 20.03.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) गुजरात राज्य कृषि विज्ञापन बोर्ड द्वारा दमोह, गुजरात में फलों और सब्जियों के लिए स्थापित किए जाने वाले पैक हाऊस प्रस्ताव को एपीडा ने मंजूरी दी है। परियोजना की कुल लागत 694.42 लाख रुपए है जिसमें से 642.42 लाख रुपए की धनराशि एपीडा देगा। शीत भंडारण की कुल क्षमता 560 मीट्रिक टन होगी। इस संबंध में GSAMB के साथ दिनांक 20.03.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6. गुणवत्ता विकास

प्रयोगशालाओं व एचएसीसीपी कार्यान्वयन तथा प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना

निर्यात के लिए अनुसूचित एपीडा उत्पादों के नमूने तथा विश्लेषण के लिए 6 नई प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई इन्हें मिलाकर कुल 22 प्रयोगशालाऐं हैं। दो राष्ट्रीय रैफरल प्रयोगशालाओं तथा 10 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का उच्च परिशुद्धता विश्लेषण उपकरण द्वारा उन्नयन किया गया। एपीडा द्वारा इस अवधि के दौरान एक नई एजेंसी सहित कुल 5 एजेंसियों को HACCP प्रमाणन के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

2. अफ्लाजीवविष तथा कृषि रसायनिक अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से निम्नलिखित निर्यात नियमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।

क. यूरोपीय संघ को ताजे खाद्य अंगूरों के निर्यात के नियम को रसायनिक अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से निर्यात मौसम 2011–12 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना।

ख. भारत से बादाम तथा बादाम उत्पादों को निर्यातों के लिए अफ्लाजीवविष के नियंत्रण पर नियम के माध्यम से निर्यातक देशों के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. प्रसंस्करण यूनिटों की मान्यता प्रदान के लिए IOPEPC के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली को संशोधित किया गया।

क. यूरोपीय संघ को बादाम निर्यात करने के लिए बादाम प्रसंस्करण यूनिटों के लिए प्रमाणन मान्यता प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली।

ख. यूरोपीय संघ को बादाम निर्यात के लिए छिलका तथा श्रेणीकरण यूनिटों को मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली।

ग. यूरोपीय संघ को बादाम निर्यात के लिए गोदामों/भंडारण को मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली।

घ. यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देशों को बादाम तथा बादाम उत्पादों के निर्यात के लिए भंडारण तथा गोदामों, बादाम प्रसंस्करण, छिलका श्रेणीकरण यूनिटों की मान्यता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली।

4. मानकीकरण

क. ताजे फलों और सब्जियों के लिए सात नए उत्पाद मानको सहित कुल 49 मानकों के लिए एगमार्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना के लिए विकसित किए गए। 10 से 12 मानक विकास प्रक्रिया में हैं तथा स्टेकहोल्डरों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

ख. भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा भारतीय जीएपी के विकास एवं अधिसूचना से संबंधित अच्छी कृषि पद्धतियों पर राष्ट्रीय तकनीकी कार्य दलों का योगदान।

5. क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण

क. एनआरपी पूना (बागवानी उत्पादों के लिए एनआरएल) में ईसी द्वारा नमूनों तथा विश्लेषणों के तरीकों पर प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम यूरोपीय संघ के देशों की प्रयोगशालाओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों बराबर भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा पालन किए जाने वाले नमूनों तथा विश्लेषण के तरीके संभव हैं।

ख. इस वर्ष के दौरान दिल्ली, मुम्बई तथा कोचीन में ईसी द्वारा आयोजित यूरोपीय संघ द्रुतगामी सर्तक तल प्रशिक्षण में एपीडा के 8 पदधारियों ने भाग लिया। एपीडा के मुम्बई कार्यालय ने मुंबई में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने भागीदारी के साथ समन्वित भी किया।

7. उत्पाद क्षेत्रों की विकासपूर्ण गतिविधियां

- **बागवानी उत्पाद**

1. **संवर्धनात्मक कार्यक्रम** : वर्ष के दौरान दुबई में आम संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आम उपभोक्ताओं के मध्य भारतीय आम को लोकप्रिय बनाने और अपने उत्पाद के अनुठेपन से उन्हें अवगत कराने के लिए चुनिंदा सुपर/हाइपर बाजारों तथा भारतीय रेस्त्रां के माध्यम से आम के उत्पादों को परोसा गया। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया।

2. **बाजार पंहुच मुद्दे**

कृषि मंत्रालय के साथ निकट समन्वय से वाष्प ऊष्मा उपचार तथा गर्म जल उपचार जैसे संगरोध पहलुओं हेतु उपायों से वर्ष 2011 के दौरान आस्ट्रेलिया के बाजार को भारतीय आमों के लिए खोल दिया गया। प्रारम्भ में जैव सिक्यूरिटी आस्ट्रेलिया सिर्फ लखनऊ, बाराबंकी तथा सहारनपुर क्षेत्र से आम आयात करने के लिए राजी हो गया क्योंकि ये क्षेत्र नाशी जीव से मुक्त पाया गया। जैव सुरक्षा आष्ट्रेलिया से दो संगरोध विशेषज्ञ की टीम ने वाष्प, ग्रर्म उपचार सुविधा/गर्म जल में डुबाकर उपचार सुविधा का उत्तर प्रदेश की पैक हाउस मंडी परिषद जो सहारनपुर तथा लखनऊ में स्थापित है, में जाकर प्रारंभिक ऑडिट किया। वर्ष के दौरान दो निर्यातकों द्वारा 1.03 मीट्रिक टन की कम मात्रा में निर्यात किया।

कृषि मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग – पशु तथा पादप स्वास्थ्य जांच से सेवा (US DA - AP HIS) के साथ लगातार सम्पर्क साधे रखा कि नाशीजीव जोखिम विश्लेषण को पूरा करके ताकि इर्रेडिएशन पश्चात अनार के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में पहुंच हो जाय। बाद में US DA - AP HIS ने पीआरए दस्तावेज का अंतिम ड्राफ्ट जन साधारण का टीका – टिप्पणि के लिए जारी कर दिया।

भारतीय खाद्य अंगूरों के आस्ट्रेलिया बाजार में पहुंच पर भारत के कीट प्रशमन सुझावों को मानकर PRA वायो सेक्यूरिटी आस्ट्रेलिया के साथ अंमिम चरण में पहुंच गया है तथा यह सूचित किया गया है कि रिपोर्ट जल्दी ही प्रकाशित कर दी जाएगी।

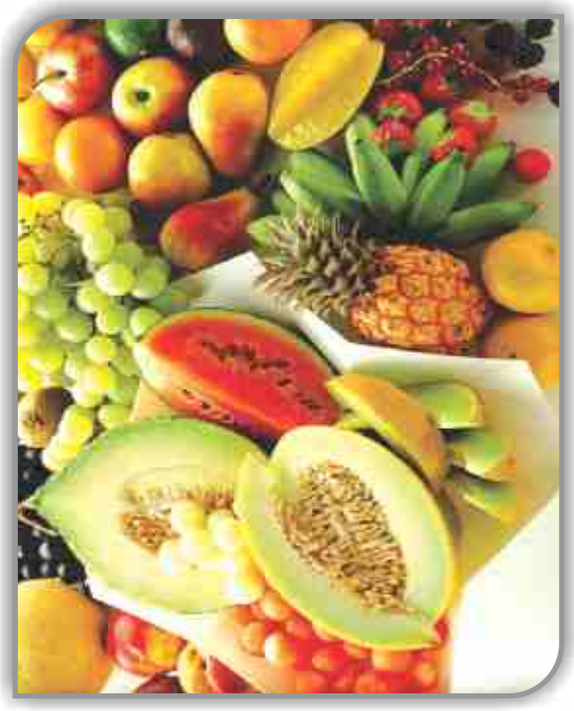

अखरोट, अंगूर, अनार, भिन्डी तथा बैंगन दक्षिण कोरिया, अंगूर, अखरोट, केला तथा लीची चिल्ली, आम, अनार तथा भिण्डी न्यूजीलैंड के बाजारों में इन की पहुंच के अनुरोध के संबंध में लगातार सम्पर्क बनाया रखा।

न्यूजीलैण्ड के संगरोध प्राधिकारियों ने मई 2011 में आम के बागों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं का दौरा किया।

अंगूरों में CCC:

2010 के मौसम में क्लोरमेक्यट (CCC) समस्या के कारण स्टेकहोल्डर के साथ परस्पर बातचीत की गई तथा कृषि

रासायनिकों को 171 में लॉच करने के लिए अवशिष्ट मॉनिटरण योजना दस्तावेजों को संशोधित किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान यूरोपीय संघ के बाजार में अंगूर का निर्यात गिरा है, परन्तु ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें अनुज्ञेय स्तर से अधिक अवशिष्ट पाए गए हों।

- **सामान्य**

आम निर्यात प्रचालन के निरीक्षण के लिए आये यूएसडीऐ – एपीएचआईएस तथा जापानी संगरोध निरीक्षकों के दौरे को सफलतापूर्वक आयोजित तथा समन्वित किया गया।

मिडिल ईस्ट तथा यूरोपीय संघ को भिण्डी, करी पत्ता तथा पान पत्ते के प्रेषित माल में जीव नाशी रसायनों अवशिष्टों में अनुरोध स्तर से अधिक कीटनाशी रसायनों के पाए जाने की रिपोर्ट आने के पश्चात सब्जी समूह विकसित करने के संगठित प्रयास किए गए तथा 20 ऐसे समूहों की पहचान तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में कर ली गई थी। वर्ष के दौरान कुछ समूहों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति का दौरा जुलाई 2011 में हिमाचल प्रदेश तथा नवम्बर, 2011 में गुजरात में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

- **पशुधन और पशुधन उत्पादः**

1. अल्जेरिया में नए बाजार खोलने तथा रूस, ट्यूनेसिया और चीन जैसे अन्य बाजारों को खोलने के लिए लगातार प्रयास किए गए।
2. मिश्र, जोरडन, साऊदी अरब, मलेशिया, अंगोला, इराक जैसे विद्यमान बाजारों में भैंस के जमे हुए मांस निर्यात संबंधित मामलों का निपटान।
3. एक 6 सदस्यीय मलेशिया के प्रतिनिधि मंडल ने 9 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2011 की अवधि के दौरान 17 बूचड़खानें–सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की समीक्षा तथा निरीक्षण हेतु भारत का दौरा किया।

4. साऊदी खाद्य एवं ड्रग प्रशासन (एसएफडीए) के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 26 मई से 10 जून 2011 की अवधि के दौरान भारत का दौरा किया।
5. रूस तथा कजाकिस्तान के विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मण्डल जो कस्टम यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ समाकलित बूचड़खाने–सह–मांस प्रसंस्करण एककों के निरीक्षण के लिए 13 से 19 अक्टूबर की अवधि के दौरान भारत का दौरा किया।

6. एक सरकारी पशु चिकित्सा सेवा के प्रतिनिधि मंडल ने 11 से 13 मार्च, 2012 की अवधि के दौरान 24 बूचड़खानों–सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण करने तथा मिश्र में निर्यात के उद्देश्य से भारत का दौरा किया।
7. यूरोप को शहद निर्यात पुनः प्रारंभ कर दिया गया जिसे पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था।

8. निर्यात हेतु विभिन्न मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के तथा पशु केसिंग प्रसंस्करण इकाइयों के निरीक्षण हेतु संयंत्र पंजीकरण समिति के दौरे को एपीडा द्वारा समन्वित किया गया था।

9. विश्व बाजारों में मानव पशु तथा संयंत्र स्वास्थ्य एवं सुधार पहलुओं पर दिए गए अधिक बल को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित मानकों के अनुसार गुणवत्ता अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य में सुधार हेतु कई कदम प्रारंभ किए गए थे। HACCP, ISO आदि जैसे गुणवत्ता तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रोत्साहित किया गया था।

10. देश से गुणवत्ता भैंस मांस उत्पादों के निर्यात के लिए एपीडा द्वारा विशेष कदम उठाए गए थेः

DGFT की अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2011 के अनुसार सिर्फ माल इन शर्तों पर भारत से निर्यात किया जा सकता है कि उसका स्रोत एपीडा में पंजीकृत समाकलित बूचड़खानों या एपीडा में पंजीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में कच्चे माल का पूरी तरह स्रोत एपीडा में पंजीकृत समाकलित बूचड़खानों से हो।

उपरोक्त अधिसूचना सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि एक बूचड़खाना (जिससे निर्यात के लिए मांस प्राप्त किया गया हो) उसका एपीडा के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। एपीडा के साथ पंजीकृत होने का तात्पर्य है कि यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त बूचड़खाने गुणवत्ता, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सुरक्षा के मानकों को बनाए रखेगा। इसके बदले यह सुनिश्चित करेगा कि भारत से निर्यात किए जा रहे मांस, गुणवत्ता, साफ–सफाई तथा सुरक्षा के आवश्यक मानकों के अनुरूप है।

11. अन्य उपलब्धियाँ

मांस निर्यात में सम्मिलित विभिन्न संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित कर इन संगठनों के विद्यमान नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों तथा प्रारूप आदि को जिसके लिए अंतर्वेशित किय जा रहा हैः

i) मांस प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा कच्चे माल का स्रोत।

ii) बूचड़खाना/मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का पुर्नमूल्यांकन

iii) भारत से मांस प्रसंस्करण को निर्यात के लिए म्यूनिसपल बूचड़खानों से कार्कस आपूर्ति करने के लिए मान्यता।

iv) नगर बूचड़खानों में गुणवत्ता सुधार करने के लिए जहाँ बूचड़खाने/मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थित है उन राज्यों के लिए पशु चिकित्सा निदेशालयों के साथ निकटता से कार्य करना।

v) व्यापारी निर्यातकों द्वारा मांस निर्यात करने के लिए यंत्र नियमावली नियमित कर आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता प्रचालनों को बनाए रखना।

- प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

मूंगफली में अफला जीव विष कम करने के लिए सुदूर पूर्व देशों तथा यूरोपीय देशों को बादाम/बादाम उत्पादों का निर्यात करने के लिए IOPEPC तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से विचार–विमर्श कर एक व्यापार विकसित किया गया तथा 1 अप्रैल, 2011 से peanut.net ट्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया।

विकास से संबंधित मानकों की समीक्षा करने तथा भारत से बादाम व बादाम उत्पादों को नियमित करने के लिए 15 अक्टूबर, 2011 को पूणे में मूंगफली उद्योग की एक बैठक आयोजित की गई।

यूरोपीय संघ को निर्यातित मूंगफली में आफ्लोजीवविष को नियंत्रण करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के लिए खाद्य एवं पशुचिकित्सा कार्यालय (CVO) मिशन ने भी 25 अक्टूबर, 2011 को एपीडा का दौरा किया तथा उन्होंने पाया कि जोखिम विश्लेषण तथा ववेचनात्मक नियंत्रण बिन्दुओं (HACCP) आदि को बादाम प्रसंस्करण एककों द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिससे नियंत्रण तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया।

भारतीय शराब के निर्यात की संभावनाओं पर विचार करते हुए भारत से शराब के निर्यात तथा विकास के लिए अखिल भातरीय शराब उत्पादक एसोशिएशन तथा शराब निर्यातकों के ताथ एपीडा ने 10 नवम्बर, 2011 को पूणे में ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र को आयोजित किया।

भारत से मूल्यवान खाद्य मदों का निर्यात तथा संवर्धन पर बल देने के लिए अखिल भारतीय खाद्य उत्पादक एसोसिएशन तथा उद्योग के साथ निरंतर पारस्परिक संवाद किया गया।

अन्य पहलें

- भारतीय भोजन सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) को भोजन उत्पादों हेतु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जारी करने पर सहमत होने के लिए काफी मनाया गया था। एपीडा इस मामले में सफल हो गया था और एफएसएमएआई द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्यातकों को जानकारी दे दी गई थी।
- एपीडा में शराब निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं की पहचान करने के लिए शराब निर्यातकों के साथ परस्पर बैठक आयोजित की गई। पहचान की गई बाधाओं के समाधान हेतु अन्य संबंधित एजेन्टों के साथ उठाया गया था।
- यूरोपीय संघ तथा गैर यूरोपीय देशों की आवश्यकता अनुसार मूंगफली में अफ्ला जीव विष की मात्रा को कम करने के लिए आईओपीईपीसी तथा निर्यातकों के साथ नियमित विचार–विमर्श किया गया था।
- यूरोपीय देशों को मूंगफली के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाण–पत्र जारी किए गए थे।
- प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को बाजार संबंधी मामलों तथा उत्पादन मार्गदर्शन पर नियमित परामर्श मुहैया करवाया गया।
- सिंगापुर में मेड इन इंडिया शो में शराब संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

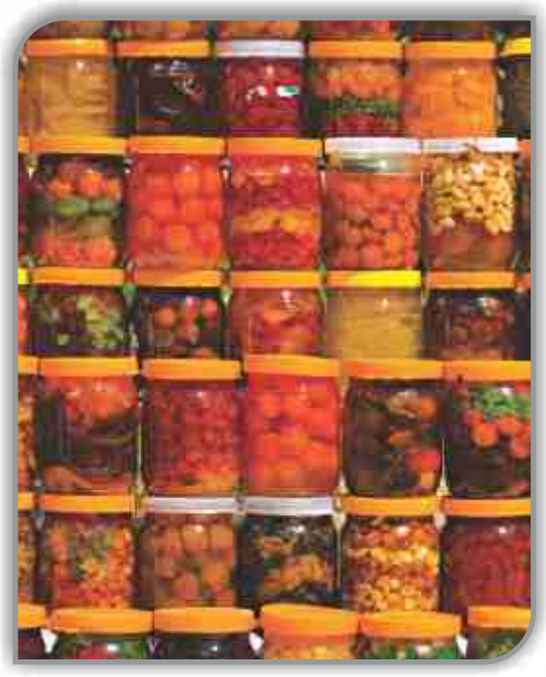

अनाज

1. "विश्व 2011 के लिए बासमती" – अन्तर्राष्ट्रीय रसोइया सम्मेलन

एपीडा ने 22 से 23 नवम्बर, 2011 के बीच द ग्रान्ड होटल, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें बासमती चावल के संवर्धन के लिए विश्व के विभिन्न भागों से 12 प्रतिष्ठित रसोइए तथा 40 श्रेष्ठ खाद्य पत्रचार/लेखक एकत्र हुए।

2. जी.आई. के रूप में बासमती का पंजीकरण

बासमती चावल के विशेष गुणधर्मों को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने एपीडा को सौपा। एपीडा ने जी.आई. रजिस्ट्री में नवम्बर, 2008 में एक आवेदन दिया जिसे मई, 2010 में रजिस्ट्री जरनल में प्रकाशित कर विरोध आमंत्रित किए।

9 विरोधी अनुक्रिया प्राप्त हुई जिन्हें एपीडा ने रजिस्ट्री में फाइल कर दिया और इस बात की संभावना है कि इस आवेदन पर शीघ्र ही

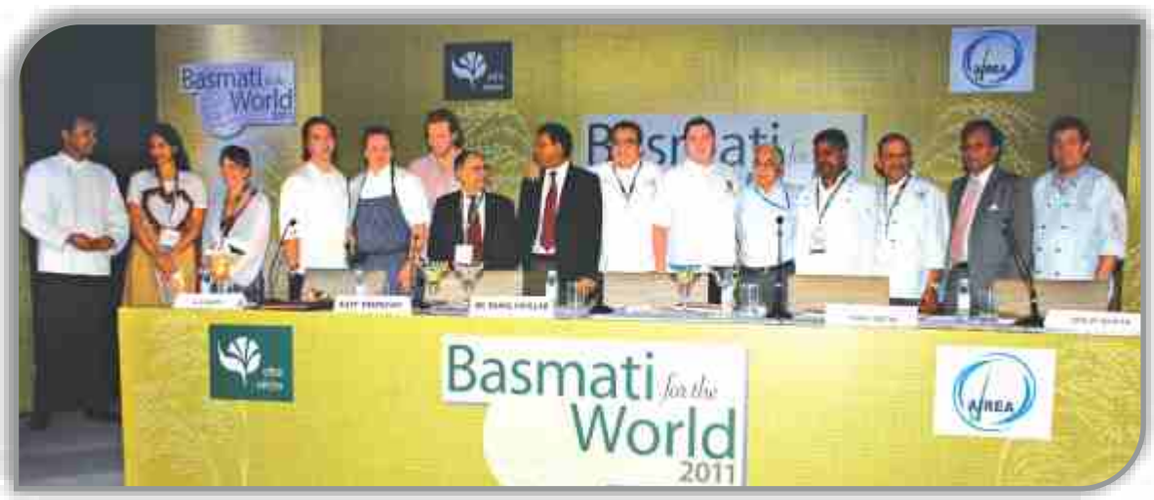

सुनवाई होगी। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जी.आई. के रूप में बासमती को मान्यता मिल गई, मुर्रब्बा की अवैलेट अदालत ने स्वीकार कर (LES CAFES BASMATI) आघात पहुंचाने वाले व्यापार चिन्ह को रद्द कर दिया।

3. बीई.डीएफ प्रयोगशाला का एक्रिडिटेशनः

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ) 2002 सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई जिसे किसान, मिल मालिकों, व्यापारियों तथा निर्यातकों जैसे विविध स्टेक होल्डरों के बीच विकास तथा समाकलनीकरण गतिविधियां चलाना आवश्यक किया गया।

बासमती का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण तथा शुद्धता की जांच के लिए एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला कृषि और प्रोद्यौगिकी एसवीबीपी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ (उत्तर प्रदेश) में स्थापित की गई है। जिसमें डीएनए पार्शवदृश्यन तथ गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। किस्म पहचान करने के लिए सीमा–शुल्क द्वारा किए गए बासमती चावल के नमूनों की जांच के लिए 31 मार्च 2010 से डीजीएफटी द्वारा एक प्राधिकृत केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया। सीमा–शुल्क तथा राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त 1600 नमूने प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया।

जून 2011 का प्रयोगशाला ने ISO/IFC/T025:2005 के अंतर्गत परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय एक्रिडिएशन बोर्ड से एक्रिडिएशन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

4. बीईडीएफ द्वारा बासमती उगाने वाले राज्यों के किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन

निर्यात के उद्देश्य के लिए बासमती चावल की सर्वोत्तम गुणवत्ता के उत्पादन के संम्बन्ध में बासमती उगाने वाले राज्यों जैसे हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड को अपने प्रदर्शन तथा फार्म प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षित करने के लिए ''क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस फॉर एक्सपोर्ट'' पर बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ) ने वर्ष के दौरान 13 कार्यशालाएं आयोजित की। विशेष रूप से जैविक बासमती चावल के उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जम्मू तथा सोनीपत में दो कार्यशालाएं आयोजित कीं।

5. अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बासमती चावल के उन्नयन पर फोकसः

अखिल भारतीय चावल निर्यातक एसोसिएशन (एआईआरई ए) के सहयोग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में अधिकतर बासमती चावल के उन्नयन पर विशेष फोकस दिया गया जिसमें एपीडा ने भाग लिया। वर्ष के दौरान प्रमुख मेलों में समर फेन्सी फूड शो, यूएसए, जून 2011 तथा अनूगा 2011 अक्टूबर, 2011, जर्मनी सम्मिलित हैं।

6. इरान गए व्यापार प्रतिनिधिमंण्डल में भागीदारीः

श्री अरविन्द मेहता, संयुक्त सचिव की अगुवाई में 10 से 14 मार्च तक भारत से गए एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल में तेहरान तथा तब्रेज का दौरा किया। श्री अरविन्द गुप्ता, सलाहकार ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में एपीडा का प्रतिनिधित्व किया। लगभग 15 कंपनियां कृषि उत्पादों मुख्य रूप से बासमती चावल, गेंहू, भूना हुआ मांस तथा प्रसंस्कृत खाद्य में बहुत उत्सुक थे जो व्यापार प्रतिनिधि मंण्डल का एक भाग भी था।

8. अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी:

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित

इंडिया शो, अदिस अबाबा इथोपिया 20–22 मई, 2011 : शो CII, विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, इसकी विशेषता रही कि कुछ बहुत प्रतिष्ठित निर्यातकों ने बहुत प्रकार के खाद्य उत्पादों जैसे, शराब, बासमती चावल बिस्कुट, मिठाइयां, स्नेक्स, तत्कालिक पेय, कस्टर्ड चूर्ण, अनाज उत्पाद आदि। श्री तरूण बजाज, महाप्रबंधक तथा श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महाप्रबंधक, एपीडा ने कार्यक्रम का आयोजन किया।

आम संवर्धन अभियान 2011, दुबई, यूएई, 29 जून से 3 जुलाई, 2011

एपीडा ने, भारतीय उच्चायोग (सीजीआई) के सहयोग से दुबई तथा भारतीय दूतावास, आबू धाबी में आम कार्यक्रम अभियान का यूएई के कई शहरों में लुलु हाइपर बाजारों तथा एआई माया सुपर मार्केट, यूएई में आयोजित किया। श्री एम.एस. रावत, महाप्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

समर फेन्सी फूड शो, वाशिंगटन डीसी, यूएसए 10–12 जुलाई 2011: एपीडा तथा आईआईपीओ ने संयुक्त रूप से 57वें समर फेन्सी फूड शो, वाशिंगटन, डीसी, में भागीदारी की तथा 80 से अधिक देशों के 2400 प्रदर्शकों ने

विशिष्ट खाद्य एवं मादक पेयों का प्रदर्शन किया। भारतीय पवेलियन 405 वर्गमीटर में फैला हुआ था तथा इसका उद्घाटन श्रीमती मीरा शंकर, राजदूत, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी, ने किया। प्रदर्शनी क्षेत्र में अनेक भारतीय खाद्य उत्पाद जैसे, बासमती चावल, शहद, मसाले तथा जड़ी–बूटी, चटनी, अचार, बिस्कुट, कुक्कीस, फलों का रस पेय, मिठाई तथा चोकलेट, काजू, मादक पेय आदि के नमूने प्रदर्शित किए। श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष एपीडा ने निर्यातकों की अगुवाई की तथा श्री सुनिल कुमार सचिव, एपीडा ने कार्यक्रम को आयोजित किया।

मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा मादक पेय व्यापार, क्वालालाम्पुर, मलेशिया, 13–20 जुलाई, 2011: एपीडा का पवेलियन 59 वर्गमीटर में फैला हुआ था जिसका उद्घाटन महामहिम श्री विजय के गोखले, भारतीय उच्चायुक्त ने किया। इस शो की विशिष्टता गैर बासमती चावल बिरयानी के लिए नमूने थे। एपीडा उत्पादों के बहुत प्रकार थे चावल आम की लुग्दी, अचार तथा चटनी, खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पाद, निर्यातित प्याज, खीरा, फलों का रस, स्नेक्स तथा मिठाइयां के साथ कुछ अन्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए थे। श्री ए.एस. रावत, महाप्रबंधक तथा सुश्री विनीता सुधांशू, सहायक महाप्रबंधक एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

प्रोफूड/सोपैक अंतरर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कोलम्बो–26–28 अगस्त, 2011: इस वर्ष भारत स्पॉट लाइट में था तथा भागीदार देश के रूप में सम्मानित किया गया। भागीदार देश से

मुख्य अतिथि के रूप में श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष, एपीडा ने उद्घाटन भाषण दिया। एपीडा स्टाल पर उल्लेखनीय दर्शनार्थियों में श्री महिन्दा यापा अब्यवर्दन, कृषि मंत्री, श्रीलंका और श्री राजपक्षे, आर्थिकी विकास मंत्री, श्रीलंका थे। अनेक भारतीय निर्यातकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा अपने उत्पादों से गीले नमूने आयोजित किए। श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष, एपीडा ने निर्यातकों के प्रतिनिधि मण्डल की अगुवाई की तथा श्री यू.के. वत्स, उप महाप्रबंधक एपीडा ने कार्यक्रम को आयोजित किया।

वर्ल्ड फूड मोस्को 2011, मास्को, रूस 13–16 सितम्बर, 2011: इस प्रदर्शनी को आईटीई ग्रुप द्वारा आयोजित किया। एक्सपो केन्द्र, मास्को में इस वर्ष इस कार्यक्रम का 20वां संस्करण था। उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत फल तथा सब्जियां, मछलियां समुद्री भोजन, पेय, तेल, फेट्स तथा सोंस, जमे हुए तथा सुविधाजनक खाद्य, चाय तथा कॉफी, मिठाई, मांस तथा कुक्कुट, डेरी उत्पाद, केन्ड खाद्य तथा ग्रोसरी उत्पाद शामिल थे। एपीडा का प्रदर्शनी में पवेलियन 45.5 वर्गमीटर में फैला हुआ था। श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष, एपीडा ने प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई की तथा श्री वी.के. कौल, उप महा प्रबंधक ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

इण्डेक्सपो 2011, मस्कट, सल्तनैत, ओमान 20 सितम्बर, 2011: चौथा इण्डेक्सपो, मस्कट, सल्तनेत ऑफ ओमान में देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी/सेमीनार भारतीय

केन्द्र में आयोजित हुआ। एपीडा ने अपना पवेलियन स्थापित किया जो 100 वर्ग मीटर में फैला था। एपीडा पवेलियन में फूल, फल, स्नैक्स, अचार आदि प्रदर्शित किए गए।

इस कार्यक्रम में श्री अजीत कुमार, एसओ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा श्री टी सुधाकर, उप महाप्रबंधक ने कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया।

बायोफैक अमरीका 2011 बासमती, यूएसए 22–24 सितम्बर, 2011: यह उत्तरी अमेरिका में आयोजित एक सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है। यह मेला न्यूसवर्ग ग्लोबल फेअर्स GmbH बाल्टीमोर सम्मेलन केन्द्र में आयोजित किया गया। सौदर्यपरक बनाए गए भारत के पवेलियन के लिए लगभग 54 वर्गमीटर स्थान लिया गया। बासमती चावल के शाकाहारी तथा मांसाहारी बिरयानी के गीले नमूनों को बहुत अनुक्रिया प्राप्त की। श्री आर. के. बोयल, महाप्रबंधक तथा श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक एपीडा ने कार्यक्रम आयोजित किया।

अनुगा 2011 कोलोन, जर्मनी 8–12 अक्टूबर, 2011:

एपीडा ने अनुगा, जर्मनी में दिनांक 8 से 12 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। इस शो में कृषि उत्पादों के अनेक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए। श्री असित त्रिपाठी, अध्यक्ष, एपीडा ने निर्यातकों की अगुवाई की तथा श्री तरूण बजाज, महाप्रबंधक एपीडा ने समारोह को आयोजित किया।

इंडिया शो, टोरेन्टो, कनाडा 17–20 अक्टूबर, 2011

एपीडा में डायरेक्ट इनर्जी सेंटर, टोरेन्टो, कनाडा में 17–20 अक्टूबर, 2011 तक आयोजित इडिया शो में भागीदारी की। इस शो को ईईपीसी भारत ने भारत के महाकांसुलावास, टोरेन्टो के सहयोग से आयोजित किया गया था। एपीडा 36 वर्गमीटर के क्षेत्र लिया। एपीडा का प्रतिनिधित्व श्री एस.एस. नैय्यर, उप महाप्रबंधक तथा श्री आर रवीन्द्रा, सहायक महा प्रबंधक द्वारा किया गया। एपीडा को ईईपीसी भारत ने इस शो का सर्वोत्तम पवेलियन का अवार्ड दिया गया था।

बायोफैक जापान 2011, टोकियो, जापान 1–3 नवम्बर, 2011:

बायोफैक यूएसए, ब्राजील, चीन, जापान, तथा भारत के बीच विश्व के जैविक व्यापार मेले की मदर बायोफैक जर्मनी, की सबसे पुरानी बेटी है, इस शो का 11वां संस्करण टोकियो विग साइट प्रदर्शनी केन्द्र में 2011 में 1–3 नवम्बर, 2011 तक हुआ था। एपीडा ने 54 वर्ग मीटर का स्थान लिया तथा भारत ने 5 अग्रणी निर्यातकों के साथ आकर्षित पवेलियन का निर्माण किया जो जापान को पहले ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। श्री सुनील कमार, सचिव, एपीडा तथा निर्यातकों ने ''ए क्रेडिबल सोर्स ऑफ आर्गनिक प्रोडक्ट'' पर सेमीनार मे दिए गए समय के दौरान भारत पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया। श्री सुनील कुमार, सचिव, एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

एफएचसी चीन 2011, संघाई, चीन 16–18 नवम्बर, 2011:

एफएचसी 2011 नए अंतरर्राष्ट्रीय एक्सपो केन्द्र में शंघाई में आयोजित हुआ। एपीडा ने इस शो में भारतीय पवेलियन के माध्यम से भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया। इस शो में प्रदर्शित खाद्य उत्पादों में फलों का रस, स्नेक्स, अचार तथा चटनी, खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल थे। पवेलियन में आयोजित बासमती चावल के गीले नमूने को आगन्तुकों से अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त हुई। भारत के महा कांसुलावास, शंघाई ने भी एपीडा पवेलियन का दौरा किया। श्री आर के बोयल, महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री सुधांशू, उप महाप्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

फ्रूट लॉजिस्टिक, बर्लिन, जर्मनी 8 से 10 फरवरी, 2012:

फ्रूट लॉजिस्टिक, बर्लिन प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया गया तथा जिसे 139 देशों से 56,000 व्यापारियों ने भाग लिया। एपीडा ने शो में 16 वर्गमीटर का क्षेत्र लिया। अनार, तथा टेबल अंगूर ताजे फलों की श्रेणी के अंतर्गत भिण्डी तथा बीन्स सब्जियों की श्रेणी आने वाले ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। श्री सुनील कुमार, सचिव, एपीडा तथा श्री यू.के. वत्स, उप महा प्रबंधक, एपीडा ने कार्यक्रम को आयोजित किया।

इण्डिया शो, लाहौर, पाकिस्तान 11–13 फरवरी, 2012:

इस शो की संयुक्त रूप से वाणिज्य व उद्योग

मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय वाणिज्य मण्डल परिशंघ द्वारा 'ब्रांड इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की। भारत से व्यापार प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने की । भरतीय शो में एपीडा ने 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। एपीडा स्टाल पर भारतीय स्नेक्स, चोकलेट, बिस्कुट तथा अन्य खाद्य उत्पादों के नमूने सभी आगन्तुकों को दिए गए तथा अनेक प्रश्नों का समाधान किया गया। श्री आर.के. बोयल, महाप्रबंधक, एपीडा तथा श्री मान प्रकाश विजय, सहायक महा प्रबंधक ने भारतीय निर्यात हाउसों से चार अन्य प्रतिभागियों के साथ मिलकर बूथ का संचालन किया।

गल्फूड 2012, दुबई, यूएई 19–22 फरवरी, 2012:

गल्फूड 2012 दुबई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र दुबई में 19–22 फरवरी, 2012 तक आयोजित किया गया था। 88 देशों की 3800 कम्पनियों ने 110 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियनों द्वारा अपना सामूहिक दृश्य प्रदर्शित किया। भारत का पवेलियन लगभग 432 वर्ग मीटर क्षेत्र के आसपास फैला हुआ था। बासमती चावल, गेहूं, आम लुगदी, फल बार, बिस्कुट, अचार, मसाले जैसे उत्पादों तथा अन्य अवयवों को पवेलियन में प्रदर्शित किया गया। श्री ए. एस. रावत, महाप्रबंधक तथा एस.एस. नैय्यर, उप महाप्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

इंडिया शो, बलइ करतिनी प्रदर्शित केन्द्र, जकार्ता, इन्डोनेसिया 6–8 मार्च, 2012:

एपीडा ने वाणिज्य विभाग के सहयोग से इंण्डिया शो जकार्ता में भारत ने भागीदारी की। बासमती चावल, आम का अचार, मिश्रित अचार, टमाटर की केचअप, आम का जेम, मिश्रित जेम, आम की चटनी आम तथा अमरूद की लुग्दी जैसे उत्पाद शो के दौरान प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में एपीडा ने 64 वर्ग मीटर का क्षेत्र लिया। चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड तथा कौफी बोर्ड जैसे संघटनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में भागीदारी अत्यन्त सफल सिद्ध हुई क्योंकि गीले नमूनों के सटाल पर जहां शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार की बिरयानी तथा लाल तथा सफेद शराब परोसी जाने से आगन्तुकों का तांता लगा रहा। श्री वी. के. कौल, उप महा प्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। श्री अजित बी. चवन, उप सचिव, वाणिज्य विभाग, इंडिया शो में उपस्थित थे।

ब्रांड इंडिया एक्सपो 2012 ओटावा, कनाडा 13–14 मार्च, 2012:

ब्रांड इंण्डिया शो 2012 ओटावा के सम्मेलन केन्द्र में 13 से 14 मार्च, 2012 तक आयोजित किया गया। एपीडा प्रदर्शनी का सक्रिय हिस्सा था तथा भारत के 110 वर्ग मीटर पवेलियन में प्रभावशाली संग्रह ने आंखे खोल दीं। श्री नवनीश शर्मा, उप निदेशक तथा

श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक महा प्रबंधक, एपीडा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया।

आयोजित किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम

आहार अंतर्राष्ट्रीय भोजन मेला भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किया गया तथा श्री टी.एन. रामानाथन, प्रमुख सचिव, (खाद्य, नगर आपूर्ति तथा सहयोग), तमिलनाडु सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। एपीडा ने 54 वर्ग मीटर का क्षेत्र अपने कई प्रकार के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए लिया। इस कार्यक्रम में प्रसंस्कृत खाद्य, खाद्य प्रसंस्करण उपस्कर, रसोई उपकरण, खाद्य पैकिंग मशीन, बेकरी, होटल उद्योग उपस्कर, खाने के लिए तैयार स्नेक्स, कॉफी, बैंकिंग कृषि प्रसंस्करण उद्योग आदि को प्रदर्शित किया गया।

फाइन फूड इण्डिया 2011, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 5–7 दिसम्बर, 2011:

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य, पेय, उपस्कर, होस्पिटलिटी (मेजवानी) खुदरा प्रोद्योगिकी प्रदर्शनी भारत में पहली बार आयोजित की गई थी। तीन दिन का अतिरंजिका नई दिल्ली में आयोजित की गई थी तथा सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, पेय तथा उपस्कर प्रदर्शित किए गए। एपीडा तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा बड़े–बड़े पवेलियन बनाए गए थे।

आहार 2012, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 12–16 मार्च, 2012:

आहार प्रमुख प्रदर्शनी है जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे खद्य, होस्पिटलिटी तथा अन्य संबंधित उद्योगों को समाहित करता है। एपीडा तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (MoFPI) ने हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजित किया। 1500 वर्गमीटर प्रदर्शनी में एपीडा पवेलियन में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, चावल तथा ताजे उत्पादन के लगभग 38 निर्यातकों को अनाश्रयता प्रदान की। एपीडा ने क्रेता–विक्रेता मीट (वीएसएम) 12 से 16 मार्च, 2012 तथा यथा क्रम में पोलेण्ड, यूएई, आस्ट्रेलिया, यूएसए, यू.के. तथा नीदरलैण्ड से खरीददारों के लिए भारत में संभावनाएं प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की गई। एपीडा पवेलियन का उद्घाटन अध्यक्ष आईटीपीओ द्वारा ाकिया गया।

9. जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी)

वर्ष 2011–12 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 5.55 मिलियन हैक्टर, वन क्षेत्र सहित उत्पादन की मात्रा .69 मीट्रिक टन थी। उत्पादन अंकों के कम होने का कारण वेव अनुमार्गलीनता तेल का कार्यान्वयन था जो फिर सीवीम द्वारा प्राधिकृत प्रमाणिक सूचना को दर्ज करता है।

- **जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादः**

वर्ष 2011–12 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत क्षेत्र लगभग 5.55 मिलियन हैक्टर, वन क्षेत्र सहित उत्पादन की मात्रा .69 मीट्रिक टन थी। उत्पादन अंकों के कम होने का कारण वेव अनुमार्गलीनता तेल का कार्यान्वयन था जो फिर सीवीम द्वारा प्राधिकृत प्रमाणिक सूचना को दर्ज करता है।

- **निर्यात की गई प्रमुख उत्पादनः**

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत ने 19 श्रेणियों में 300 उत्पादों को निर्यात किया था। पैदावार की दर विगत वर्ष की तुलना में 167 प्रतिशत बढ़ गई थी अतः 1866.33 करोड़ (यूएस + 358.42 मिलियन) की राशि प्राप्त की जैविक उत्पादन 147799 मीट्रिक टन था जो विगत वर्ष की तुलना में 111.63 प्रतिशत बढ़ा।

कुल मात्रा का यूरोपीय संघ के लिए 34.6 प्रतिशत तथा यूएसए के लिए 25 प्रतिशत

निर्यात बढ़ा। निर्यात के दूसरे स्थान कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, चीन, मिडिल ईस्ट देशों तथा एशियायी देश थे। निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों में गन्ना, सोयाबीन तथा उनके उत्पाद तेलों के बीज, कपास तथा वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य बासमती चावल, सीसम, मसाले, चाय, मेवा, औषधीय पौधे तथा उनके प्रसंस्कृत उत्पाद थे।

एपीडा ने वर्ष 2011–12 के दौरान 9804 मीट्रिक टन जैविक चीनी, 2637.442 मीट्रिक टन दालों के निर्यात के लिए कुल 75 आरसीएसी जारी किए गए।

- **नए मानकों में एनपीओपी के अंतर्गत प्रमाणीकरण वस्त्र तथा पशु चिकित्सा** : नए मानकों में एनपीओपी के अंतर्गत एक्वाकलचर वस्त्र तथा पशु चिकित्सा आते हैं। एमपीओपीके अंतर्गत एक्वाकल्चर, पशु चिकित्सा तथा वस्त्र के लिए मानकों को पूरी शर्तों सहित एनएससी द्वारा स्वीकृत कर दिया तथा डीजीएफटी द्वारा शीघ्र ही अधिसूचित करने की संभावना है।

- **दो नए एक्रिडिएशन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेसियां**: दो और प्रमाणिकरण एजेंसियां – निर्यात निरीक्षण एजेन्सी (ईआईए) नई दिल्ली तथा उडीसा राज्य जैविक प्रमाण पत्र एजेंसी (ओएसओसीए) को एनपीओपी के अंतर्गत 24 निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेसिंयों के एक्रिडिटिड किया गया है।

- **जैविक प्रमाणीकरण उत्पादों को प्रोत्साहनः**

अंतरर्राष्ट्रीय जैविक व्यापार मेलों में भागीदारी

एपीडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2012 देश के रूप में बायोफैक जर्मनी में सफलतापूर्वक भागीदारी की। 925 वर्ग मीटर स्थान के अंतर्गत 50 निर्यातकों में भाग लिया तथा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। अखबारों, पत्रिकाओं में विज्ञापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय रेस्टोरेन्टों की स्थापना भारतीय जैविक चावलों से बनी बिरयानी के गीले नमूने तथा स्नेक खाद्य भारतीय पवेलियन में कार्यान्वित किए गए जैसी प्रोत्साहनीय गतिविधियां चलाई गईं । न्यूरेजवर्ग शहर की बसों तथा रेलवे स्टेशनों पर बैनर लगाए गए। न्यूरेनवर्ग मेले द्वारा भारतीय जैविक सिलसिलाए वस्त्रों का विशेष फैशन शो आयोजित किए गए।

एपीडा ने दो महत्वपूर्ण बायोफैक, जापान 2011, बायोफैक अमरीका को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय जैविक खाद्य उत्पादों तथा वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए भागीदारी की।

- **जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसनेट वेब आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टम का विकासः**

  जून 2010 में ट्रेस नेट की कार्यान्वयन के पश्चात् उत्पादन प्रमाणीकरण तथा जैविक उत्पादों के निर्यात से संबंधित सूचना दी जा सकेगी। वर्ष 2011–12 के दौरान ट्रेस नेट के माध्यम से 2530 कार्यक्षेत्र प्रमाणपत्र तथा 11055 कार्य सम्पादन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  एपीडा विभिन्न स्टेक होल्डरों में निरीक्षण, प्रमाणीकरण तथा मूल्यांकन में एक रूपता लाने के लिए क्षमता निर्माण में विश्वास रखता है।

  (क) राज्य जैविक प्रमाण पत्र एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर आईएसओ गाइड 65 के अनुसार प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थापित करना।

  (ख) नई मूल्यांकन समिति सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

  (ग) ट्रेसिबिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रयोग पर जैविक खेती में नए स्टेकहोल्डर।

10. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलाप

- **क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई**

मुम्बई कार्यालय नीति, प्रक्रिया विधि, उत्पाद संवर्धन तथा अंतरर्राष्ट्रीय क्रेताओं आदि के संबंध में व्यापार सूचनाओं का प्रसार कर रहा है तथा यह सक्रिय रूप से निर्यातकों के परिवहन सहायता दावों तथा एपीडा की वित्तीय सहायता सृजित परिसंपत्तियों के प्रमाणीकरण में लगा हुआ है। मुम्बई कार्यालय ने 610 प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र, 43 एपीडा पुनः पंजीकरण तथा 155 पुनः री इशूयन्स प्रमाण पत्र जारी किए। जारी किए गए पंजीकरण–सह आवंटन प्रमाण–पत्रों (आरसीएसी) 888 बासमती चावल 39 कच्ची चीनी के आयात के लिए जारी किए गए थे।

- **व्यापारिक मेलों में भागीदारी**

अंतरर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय से अधिकारियों ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भागीदारी की–

अंतरराष्ट्रीय

– आम संवर्धन कार्यक्रम, दुबई, जून 2011

– छठा अमरीका खाद्य शो, मेक्सीको, सितम्बर, 2011

– चौथा इन्डेक्सपो मसकट, सितम्बर, 2011

राष्ट्रीयः

- कृषि धाम, 2011, मुम्बई, अप्रैल, 2011
- खाद्य टेक, रायपुर, 2011, फरवरी, 2011

समन्नवय दौरे/संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों/निरीक्षणों में भागीदारी

- वर्ष के दौरान कार्यालय ने 50 बैठकों/कार्यशालाओं / संगोष्ठियों में राज्यों/केन्द्रीय सरकार संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया गया एवं भाग लिया।
- वर्ष के दौरान कार्यालय ने निम्नलिखित कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किएः.

  i) **खाद्य प्रसंस्करण** : यू.एस.एफडी.ए. ''यूज ऑफ स्टीम/एयर रिटोर्ट सिस्टम'' नवीं मुम्बई 8 अप्रैल, 2011

  ii) **खाद्य प्रसंस्करण** : एमसीसीआईए – एपीडा कार्यशाला, पूना, 28–29 जुलाई, 2011

  iii) **खाद्य प्रसंस्करण** : सीआईआई एपीडा कार्यशाला, अहमदाबाद, 4 अगस्त, 2011

  iv) **कौंकण कन्क्लैव 2011** : गोवा – 20 अक्टूबर, 2011

एपीडा मुम्बई ने वर्ष के दौरान यूरोपीय देशों को मानव उपभोग के लिए मूंगफली निर्यात के लिए 10 मूंगफली प्रसंस्करण एककों का निरीक्षण किया तथा 12 मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण दौरे किए गए थे।

प्रतिनिधि मण्डल

एपीडा मम्बई कार्यालय ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित अंतरर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल के दौरे आयोजित किया:–

i) मलेशिया मांस प्रतिनिधिमण्डल (31 अप्रैल, 2011)

ii) न्यूजीलैण्ड आम, एमएफए, प्रतिनिधि मण्डल (अप्रैल 2011)

iii) साउथ अफ्रीका मांस प्रतिनिधिमंडल (जून 2011)

iV) आमों के लिए आस्ट्रेलियायी दल ने भारत का दौरा किया, एक्यूआईएस (जून 2011)

v) रूस मांस प्रतिनिधि मंडल (अक्टूबर, 2011)

vi) संयंत्र से उत्पति में जीवबिष अवशिष्टों के लिए एफवीओ मिशन ने भारत का दौरा किया।

vii) भारतीय अंगूरों के लिए बाजार में पहुंचने के लिए न्यूजीलैण्ड प्रतिनिधिमण्डल का दौरा (मार्च 2012)

विभाग से संबंधित वाणिज्य संसदीय स्थायी समिति का दौरा (31 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक)

मुख्यालय के साथ समन्वयन में क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने विभाग संबंधी वाणिज्य संसदीय स्थायी समिति का गुजरात दौरा 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2011 तक आयोजित किया तथा दौरे पर साथ गए और होटल आवास तथा अन्य लाजिस्टिक्स, दौरे तथा अंतिम बैठक का प्रबंध किया।

- **एपीडा बोर्ड सदस्यों का पूणे का दौरा 5–6 मार्च, 2012 :**

  मुख्यालय के साथ समन्वयन में क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने एपीडा बोर्ड के सदसयों का दौरा 5–6 मार्च, 2012 तक आयोजित किया तथा दौरे पर साथ गए और होटल आवास लॉजिस्टिक सहायता कार्यक्षेत्र का दौरा तथा बैठकों का प्रबंध किया।

- **पैक हाउस निरीक्षण :**

  I) वीएचटी सुविधा, वाशी, नवी मुम्बई– जून 2011

  ii) मै. प्रिन्स एग्रोएक्सपोर्ट, नासिक – जनवरी, 2012

  iii) मै. नाफेड, नासिक (पहले दौरे का जांच) पुनः जांच – जनवरी 2012

  iv) मै. वर्धमान कोल्ड स्टोरेज, नासिक – फरवरी, 2012

  v) मै. श्री सांई पूजा कोल्ड स्टोरेज नासिक, फरवरी, 2012

- **भौतिक जांचः**

  – वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई ने एपीडा की वित्तीय मदद से निर्यातकों द्वारा निर्मित 26 परिसंपतियों की भौतिक जांच किया।

- **निरीक्षण पूर्वः**

  – मै. एम्पायर एक्सपोर्ट नासिक – पैक हाउस तथा उच्च आद्रता कोल्ड स्टोरेज।

- **ईआईए पैनल निरीक्षण**

  – मै. स्वराज इन्डस्ट्रीज, फलतान, सतारा (डेरी एकक)

  – मै. एगवे इन्टरनेशनल एशिया प्रा. लि., आंध्र प्रदेश (अंडा प्रसंस्करण एकल)

- **क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर**

  एपीडा बंगलौर कार्यालय केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभाग तथा राज्य में निर्यात से संबंधित अन्य संगठनों के साथ नियमित संपर्क में था। यह नए तथा आंकाक्षी उद्यमियों को विभिन्न निर्यात अवसरों पर परामर्श सेवाएं मुहैया करवाने में रत था।

  नीति, क्रियाविधि, उत्पाद संवर्धन तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं आदि के संबंध में व्यापार सूचना का प्रचार किया और निर्यातकों के परिवहन दावों के प्रक्रमण और एपीडा की वित्तीय सहायता से बनी परिसम्पत्तियों की

जांच में सक्रिय रूप से नियोजित है। वर्ष के दौरान एपीडा बंगलौर कार्यालय द्वारा कुल 595 पंजीकरण सह–आबंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी किए गए थे। वर्ष के दौरान 42.00 करोड़ की परिवहन आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी, इस के अतिरिक्त मांस संयंत्रों / पैक हाउस के दौरे तथा परिसम्पत्तियों की भौतिक जांच की व्यवस्था तथा भागीदारी की गई थी। दक्षिण क्षेत्र में एपीडा के कार्यकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर ने विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की थी। दक्षिण क्षेत्र में एपीडा के कार्यकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलौर में विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की थी तथा एपीडा के क्रियाकलापों तथा वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिए थे।

- **कार्यक्रम / बैठकें**

1. **एपीडा प्राधिकरण की बंगलौर में 24.06.2011 को बैठक**

एपीडा प्राधिकरण की 71वीं बैठक बंगलौर में आयोजित हुई थी। सदस्यों को एक दौरे पर ले गए, जिसमें मै. इन्दो ब्लूम लिमिटेड, दोदाबालापुर (एक पुष्प कृषि एकक) तथा मै. इन्टरगार्डन इण्डिया

प्रा. लि. नीलमानगाला (एक खीरा एकक) शामिल थे। होटल अजिया में दिनांक 24.06.2011 को बैठक आयोजित की गई थी।

बोर्ड के सदस्यों ने बैठक की विषय सूची पर विचार–विमर्श किया। अध्यक्ष एपीडा, सचिव, जी.जी.एम. (यू.के.वी.) तथा डीजीएम (वीकेके) बैठक के दौरान उपस्थित थे।

2. **अवसंरचना तथा अवसंरचना उन्नयन – क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर क्षेत्रः**

एपीडा ने विभिन्न राज्य सरकारों को सामूहिक अवसंरचना सुविधा स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की।

तमिलनाडु

1. तमिलनाडु से ताजी सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने कृषि विपणन विभाग तथा कृषि व्यापार तमिल नाडु सरकार को ओटनचन्नम, जिला डिंडीगुल, तिन्डीवनम, जिला विल्लूपुरम तथा कोयम्बटूर, जिला कोयम्बटूर में शीत भंडारण सुविधा स्थापित करने के लिए 75.00 लाख रूपए की धन राशि स्वीकृत की थी।

2. तमिल नाडु से निर्यात किए जा रहे पशु उत्पादों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्व विद्यालय (टीएएमयूवीएएस) नमक्कल की वीसी तथा आरआई, प्रयोगशाला नामक्कल के आधुनीकीकरण/उन्नयन के लिए एपीडा ने 4.36 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत की थी।

3. तमिल नाडु से निर्यात किए जा रहे पशु उत्पादों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिल नाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (टीएएनयूवीएएस) को फरमा–को–विजलेंस (ओषधि सतर्कता) प्रयोगशाला (पीएलएएफएफएस), चेन्नई को सुदृढ़ करने के लिए एपीडा ने 5.5 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत की थी।

कर्नाटक

1. कर्नाटक राज्य से बागवानी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के चार जिले हवेरी, लोलार, मैसूर तथा बेकगांव में समाकलिन शील श्रृंखला स्थापित करने के लिए पहचाने गए थे। एपीडा ने

बागवानी निदेशालय, को कर्नाटक सरकार को हवेरी के लिए 183.75 लाख रूपए, कोलार को 212.75 लाख रूपए, मैसुर को 198.75 लाख रूपए, बेलगांव के लिए 143.00 लाख रूपए स्वीकृत किए थे।

2. बेलगांव जिले से अंगूर, गुड़ तथा अन्य बागवानी उत्पादों को निर्यात के लिए बढ़ावा देने के लिए के. ए.पी.पी.ईसी. को अंगूर, गुड़ तथा अन्य उत्पाद के लिए कुदाची, रेबाग, तालुक बेलगांव में शीत श्रृंखला स्थापित करने के लिए एपीडा ने 8.22 करोड़ रूपए स्वीकृत किए थे।

- **स्वदेशी प्रदर्शनियां:**

1. **आहार**–अंतरराष्ट्रीय खाद्य मेला 2011 – आहार खाद्य आईटीपीओ द्वारा 25–27 अगस्त 2011, चेन्नई व्यापार केन्द्र कम्पलैक्स नन्दाबक्कम, चेन्नई में आयोजित किया गया था। श्री टी.एन. रामनाथन, आईएएस ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एपीडा ने 54 वर्ग मीटर की स्टॉल ली तथा निर्यातकों से एकत्र किए गए पोस्टरों तथा उत्पाद नमूनों को सजाया गया था। एपीडा के प्रकाशनों को भी बेचा गया। एपीडा के साथ चार निर्यातकों ने भी मेले में भागीदारी की।

2. **बायोफैक इंण्डिया** – क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर ने 10–12 नवम्बर, 2011 तक आयोजित बायोफैच को समन्वित किया तथा भागीदारी की। कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री, सदानन्द गौडा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एपीडा इस कार्यक्रम के प्रायोजकों में से एक थे तथा 18 वर्ग मीटर की स्टाल आवंटित की गई थी। निर्यात तथा जैविक खेती में एपीडा की भूमिका चित्रार्थ करते हुए पोस्टरों के साथ स्टाल को सजाया गया था।

- **अंतरर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

1. **इंडिया शो टोरोन्टो, कनाडा** – इंडिया शो, टोरोन्टो, कनाडा में दिनांक 17–21 अक्टूबर, 2011 तक आयोजित किया गया जिसमें भागीदारी तथा आयोजन के लिए एपीडा द्वारा श्री एस एस नैय्यर, उप महा प्रबंधक तथा री आर रवीन्द्र को नामित किया गया था। एपीडा की भागीदारी का दौरे पर आए प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बहुत सराहा तथा व्यापार एवं उद्योग से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई थी।

2. यूरोपीय कमीशन द्वारा रोम में दिनांक 10 से 13 जून 2012 तक आयोजित ''बेटर ट्रेनिंग फॉर

सेफर फूड'' पर गुणवत्त योजनाएं – जैविक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के लिए श्री आर. रवीन्द्र सहायक महाप्रबंधक तथा श्री विद्युत बरूवा, सहायक महाप्रबंधक को एपीडा द्वारा नामित किया गया था।

- **आगन्तुक तथा प्रतिनिधि मण्डलः**

मै. ओनोशोकू मशीनरी को. लि. ओकयामा जो एक खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन करने वाली कम्पनी के मि. टक्काकी, निदेशक तथा सुश्री मामी ओनो, महाप्रबंधक, विदेश विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की दक्षिण भारत में संभावनाओं पर विचार–विमर्श करने के लिए 27 फरवरी, 2012 को बंगलौर का दौरा किया।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबादः**

एपीडा हैदराबाद कार्यालय, केन्द्र तथा राज्य के विभागों तथा राज्य में निर्यात से संबंधित अन्य संगठनों के साथ नियमित सम्पर्क में था। यह नए तथा आकांक्षी उद्यमियों को विभिन्न नियति अवसरों पर परामर्शी सेवाएं मुहैया करवाने में रत था। विभिन्न आंविधिक क्रियाकलापों को निष्पादित करने में भी रत था जैसे कि आरसीएमसी तथा आरसीएसी जारी करना तथा इसके अतिरिक्त इसमें मांस संयंत्र और पैक हाउसों के अनुमोदन तथा परिसम्पत्तियों के भौतिक जांच हेतु दौरों की व्यवस्था एवं भागीदारी की थी।

एपीडा के कार्यकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों, वित्त संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्व विद्यालयों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की थी।

एपीडा के क्रियाकलापों तथा वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिए। इस कार्यालय ने वर्ष 2011–12 के दौरान 173 आरसीएमसी तथा 146 आरसीएसी 26668 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी किए थे।

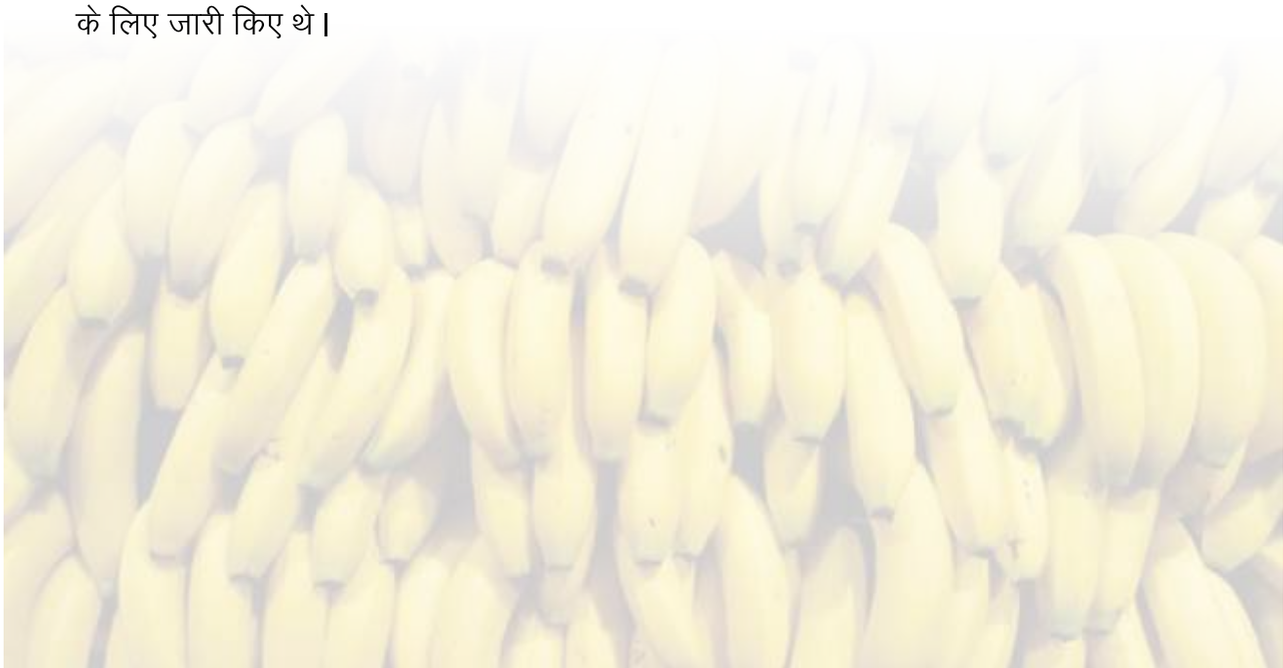

- **सम्मेलन / कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

1. **हैदराबाद में निर्यातकों के साथ 22.07.2011 को बैठक**

आंध्र प्रदेश के निर्यातकों के लिए एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं के मूल्यांकन के लिए एपीटीपीसी प्रशिक्षण हॉल बशीरबाग, हैदराबाद में 27.07.2011 को एक बैठक आयोजित की थी। श्री रवीन्द्र सहायक महाप्रबंधक ने बैठक की अध्यक्षता की थी।

मै. प्राइसवाटरहाउस कूपर्स के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया तथा निर्यातकों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श किया और फीडबैक प्राप्त किया। लगभग 25 निर्यातकों ने बैठक में भाग लिया। एक प्रश्नावली परिचालित कर निर्यातकों से फीडबैक प्राप्त किया।

2. **रिवाइवल ऑफ होर्टीकल्चर प्रड्युस एक्सपोर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश दिनांक 22.11.2011 को ब्रेन स्टोर्मिंग सत्रः**

''रिवाइबल ऑफ होर्टीकल्चर प्रड्यूस एक्सपोर्ट फ्रॉम आंध्रप्रदेश पर दिनांक 22.11.2011 को होटल मकर्यूर, हैदराबाद में एक दिन की बैठक आयोजित की। डॉ. जगन मोहन, आईएएस, संयुक्त आयुक्त, बागवानी, आंध्रप्रदेश सरकार ने सत्र का उद्घाटन किया था। श्री बी माधव रेडी, माननीय सदस्य, एपीडा, बोर्ड ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर सम्मानित किया। डॉ. एस.डी. शिखामणी, पूर्व कुलपति, डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय ने आधार व्याख्यान दिया जिसमें निर्यातकों, प्रगतिशील किसानों, बागवानी विभाग के पदाधिकारीगण, डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय से वैज्ञानिकों को मिलाकर लगभग 130 से 150 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. **अवसर तथा चुनौतियों पर दिनांक 16.12.2011 को एफएपीसीसीआई, हैदराबाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर संगोष्ठी :**

एफएपीसीसीआई, हैदराबाद द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग – अवसरों और चुनौतियों पर दिनांक 16.12.2011 को सुराना उद्योग सभा भवन में 16.12.2011 एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया था। एपीडा ने इस संगोष्ठी को सह–प्रायोजित किया और लगभग 100 भागीदारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। वरिष्ठ कार्मिक कार्यकारी ने संगोष्ठी में भाग लिया तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एपीडा का वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया।

- **मांस प्रतिनिधि मण्डल का दौराः**

1. **मलेशिया प्रतिनिधिमंडल का दौरा**

तीन सदस्यीय मलेशिया प्रतिनिधि मण्डल (दल–बी) ने मै. फ्रिरिअरिओ कन्जर्वा एलाना लि., जहीदाबाद तथा मै. अल–कबीर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., जिला मेडक के मांस संयंत्रों का क्रमशः दिनांक 11.04.2011 तथा 13.04.2011 को निरीक्षण किया।

2. **साउदी अरब प्रतिनिधि मण्डल का दौराः**

एसएफडीए (साउदी अरेविया) तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने मै. अल–कबीर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., जिला मेडक तथा मै. अलक्युरेश एक्सपोर्ट्स, सोलापुर मांस संयंत्रों का क्रमशः दिनांक 4.6.2011 तथा 5.6.2011 को दौरा किया।

पैक हाउसों का निरीक्षण तथा भौतिक जांचः

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने बागवानी विभाग, आध्र प्रदेश सरकार द्वारा एम. चिन्नापल्ली (ट) , समीरपेट (एम.) जिला रंगारैडी तथा मुम्मादीदाला (अ), गिन्नाराम मेडल, जिला मेडक में पैक हाउसों की स्थापना साझा अवसंरचना सुविधाओं की 3.01.2011 को भौतिक जांच की थी।

- **क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता**

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता भारत के पूर्वी भाग में होने के नाते भारतीय उत्पादों विशेष रूप से भारत के पूर्वी भाग से बंगला देश तथा दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों को निर्यात करने के लिए प्रवेश द्वार है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता एपीडा के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों से समन्वय बनाए रखा था। कोलकाता ने व्यक्तिगत निर्यातकों पर ध्यान देने के साथ साथ विभिन्न कृषि क्षेत्र अंचलों में गुणवत्ता विकास तथा अवसंरचना के लिए एपीडा के विकास कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता विकास सहायता के सम्बन्ध में विभिन्न व्यापार तथा संस्थानिक कार्यक्रमों में सूचना प्रदान की तथा प्रसार किया।

क्षेत्रीय कार्यालय ने 216 आरसीएमपी, 12 आरसीएमसी में संशोधन, 67 आरसीएमसी पुनः जारी की आरसीए 23, टीएएस आवेन 37, 27 टीएएस को पुनः प्रस्तुत किया तथा 882 आगन्तुकों की अगुवाई की और उन्हें आवश्यक सूचना प्रदान की।

- **संगोष्ठी तथा कार्यशालाएंः**

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने विभिन्न विषयों पर पश्चिमी बंगाल, उडीसा, में 25 संगोष्ठियों और कार्यलशालाओं में भागीदारी की। मुख्य रूप से जागरूकता तथा निर्यातोन्मुखी विषयों को लिया गया तथा

सम्भावित निर्यातकों, राज्य सरकार के साथ साथ उद्योग एसोशिएशन जैसे कि पीएफआई तथा बागवानी विभाग, आईसीसी। एपीआईसीओएल, सीआईआई, एफआईईओ, पीएचडी चेम्बर, बीसीकेवी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के अध्यक्ष एपीडा ने संम्बोधित व्यापार मेले जैसे – एग्रो प्रोटेक, 2011, कोलकाता, हाउस प्लान्ट शो, कोलकाता, प्रौद्योगिकी सप्ताह, 2012, केवी को हावड़ा तथा झारखंड अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012, रांची तथा एपीडा की गतिविधियों तथा योजना के संबंध में आगन्तुकों की सूचना का प्रसार किया था।

- **सामूहिक अवसंरचना परियोजनाः**

  एपीडा ने पश्चिमी बंगाल कृषि विपणन निगम (वग एग्रीकल्चर मार्केटिंग कार्पोरेशन) पश्चिम बंगाल सरकार, शिओराफल्ली, जिला हुगली को आलू फ्लेक्स प्रसंस्करण परियोजना स्वीकृत की। एपीडा की सहायता 8.00 करोड़ रूपए (कुल लागत 25 करोड़ रूपए)।

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारीः**

  बायोफैक, 2011, बाल्टीमोर, यूएसए : श्री आर.के. बोयल महाप्रबंधक तथा श्री उमेश कुमार सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता को 22 सितम्बर, 2011 से 24 सितम्बर, 2011 तक बायोफैक, 2011 बल्टीमोर, यू.एस.ए. के आयोजन के लिए नामित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक उत्पादन का संवर्धन करना था।

- **क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटीः**

  एपीडा, गुवाहाटी व्यापार संबंधी जैसे एग्जिम नीति, क्रियाविधि, उत्पाद संवर्धन तथा अंतरराष्ट्रीय क्रेता आदि पर सूचना प्रदान कर रहा है। वर्ष 2011–2012 के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में 21 पंजीकरण सह सहायता प्रमाण–पत्र (आरसीएमसी) विभिन्न अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को जारी किए थे।

- **संगोष्ठी / कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रमः**

  - एपीडा की विभिन्न योजनाओं जैसे कि निर्यात विकास निधि तथा अंतर्देशीय परिवहन सहायता पर जागरूकता कार्यक्रम चुड़ाचन्दपुर, सेरापति तथा जिला उखरूल, मणीपुर सरकार के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के दौरान अच्छी पैकिंग, स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता के संबंध में भी चर्चा हुई।

  - निर्यातकों तथा जिला रिभोई के किसानों के बीच जिला रि भोइ, मेघालय में जिला बागवानी अधिकारी, जिला रि भोइ के सहयोग से पारस्परिक विचार विमर्श बैठक की व्यवस्था की गई थी जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के पदाधिकारी उपस्थित थे। निर्यातकों ने अपनी आवश्यकता के सम्बध

में सूचित किया था तथा एस बी आई ने सूचित किया था कि किसान को समिति के अंतर्गत कैसे ऋण प्रप्त कर सकेंगे।

- निर्यातकों की पैकिंग आवश्यकता के लिए गुवाहाटी द्वारा आईआईपी से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर 31 जनवरी को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें उद्यमियों, निर्यातकों ने भागीदारी की थी।

- **जैविक खेती**
  - कृषि भूमि दौरे के साथ जैविक खेती के निर्यात संवर्धन के लिए त्रिपुरा के किसानों तथा निर्यातकों के साथ 15 जून 2011 को पारस्परिक विचार–विमर्श बैठक की व्यवस्था की गई थी तथा ऐसी ही एक बैठक की व्यवस्था नागालैंड के किसानों के साथ केंद्रीय बागवानी संस्थान, दीमापुर के साहचर्य में कृषि भूमि दौरे के साथ 18 जून 2012 को की गई थी। किसानों को सलाह दी गई थी कि जैविक खेती के संवर्धन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की मदद लें।

  - एपीडा ने व्यापार तथा वाणिज्य विभाग, अरूणाचल प्रदेश के सहयोग से एक दिन की कार्यशाला ईटानगर में 6 मार्च, 2012 को आयोजित की गई थी, जहां एपीडा द्वारा प्रमाणन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को लाया गया तथा उन्हें प्रमाणन प्रक्रिया के सम्बध में बताया।

- एपीडा ने एनएचबी तथा आईसीसी के साथ 11 मार्च, 2012 को जैविक कृषि पर गुवाहाटी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था की गई थी जहां डॉ. पी.वी.एस.एम. गौरी ने भारत में जैविक कृषि के विकास के संबंध में बताया था।

- **एपीडा हॉट**

एपीडा ने माननीय केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा द्वारा 23 जुलाई, 2011 को सीमा हॉट के खोले जाने वाला समारोह में भाग लिया तथा बंगलादेश के पदाधिकारियों के साथ परस्पर विचार–विमर्श किया था। बड़ी संख्या में बंगला देश तथा भारत के लोगों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की थी।

- **अवसंरचना विकासः**

चलता–फिरता शीत भंडारण लेंगपुई हवाई अड्डे, मिजोरम में स्थापित करने के लिए एपीडा ने मिजोरम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की कुल लागत 20,64,314 रूपए है जिसमें से (एएसआईडीई 7,60,597 रूपए तथा एपीडा 13,03,717 रूपए) देगा। इस सुविधा की स्थापना के लिए मिजोरम सरकार की मिजोरम लघु किसान कृषि व्यापार संघ प्राधिकृत एजेंसी है जो राज्य से कटे हुए फूलों के निर्यात को बढ़ावा देगा।